

सूची में दर्ज है , जो NGDRS में अपलोड हो गई है । उक्त भूमि पर आवेदक का दखल का भी कोई प्रमाण अंकित नहीं है । यह भूमि दानकर्ता जगत नारायण सिंह की निजी भूमि ही नहीं थी । स्पष्ट है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को एवं उद्देश्यों को विफल करने के क्रम में यह पट्टा बनाया गया है , जो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है । वर्तमान में अधिसूचना सं०-1031/रा० दिनांक-11.03.2016 के द्वारा समिति का गठन किया गया है । ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस पर निर्णय करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति अंचल अधिकारी करमाटाँड़ को भेजे ।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
जामताड़ा ।